>

Title: Need to ensure that the policy of reservation of jobs for Scheduled Castes is followed in Supreme Court and High Courts in the country.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। देश में सामाजिक गैर-बराबरी खत्म करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाने की अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, स्पैशल कम्पोनैंट प्लान के माध्यम से विशेष योजनाओं को लागू करने के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी कम्पनियों द्वारा डीजल व पैट्रोल के विक्रय हेतु पैट्रोल पम्प स्थापित करने में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तेल कम्पनियों द्वारा पम्प स्थापित करने में उनकी मदद भी की जाती है। मेरे संज्ञान में आया है कि अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर तेल कम्पनियों द्वारा कम्पनी के स्वामित्व और स्वयं द्वारा संचालित कम्पनी आन और कम्पनी ऑपरेटेड कोको पम्प स्थापित किए जाते हैं। इन कोको पम्प के संचालन हेतु निजी लोगों को दिया जाता है जिसके आवंटन में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं, यह उनका खुला उल्लंघन है। मैं सदन के माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें सामाजिक बराबरी में लाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की सभी ऑयल कम्पनीज़ के कोको पम्पों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Shri Virender Kashyap,

Shri Virendra Kumar,

Shri Arjun Ram Meghwal,

Shri Maheshwar Hazari and

Shrimati Jyoti Dhurve are also associating with the matter raised by Shri P.L. Punia.